भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. - 437*

01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक औषधियों के संबंध में अनुसंधान

*437. श्री अरुण साव:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न रोगों के लिए आयुर्वेदिक औषधियां विकसित करने हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करती रही है;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विभिन्न प्रयोगशालाओं में वर्तमान में चल रही परियोजनाओं तथा प्रत्येक मामले में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विकसित की जा रही आयुर्वेदिक औषधियों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 01 अप्रैल, 2022 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 437* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी हां। आयुष मंत्रालय देश में विभिन्न बीमारियों के लिए दवाएं विकसित करने हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहन दे रहा है। मंत्रालय उत्कृष्टता केन्द्र योजना और बहिर्वर्ती अनुसंधान योजना के योजनाबद्ध दिशानिर्देशों के अलावा, अपनी अनुसंधान परिषदों, राष्ट्रीय संस्थानों, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के माध्यम से विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों पर अनुसंधान के लिए सहायता देता है।

केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), आयुष अनुसंधान पोर्टल नामक एक वेबसाइट का रखरखाव कर रही है जिसमें सभी आयुष पद्धतियों से संबंधित समस्त प्रकाशित अनुसंधान जानकारी को अनुसंधान की व्यापक उपयोगिता और उपलब्धता के लिए व्यवस्थित रूप से अपलोड किया जाता है।

अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में औषधीय पादपों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित झलकियां निम्नानुसार हैं:

i. नैदानिक अनुसंधान के तहत 37 रोग अवस्थाओं पर 154 शास्त्रीय आयुर्वेद औषधियों को मान्य किया गया है।
ii. 12 रोग अवस्थाओं में 27 शास्त्रीय आयुर्वेद औषधियां नैदानिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों में हैं।
iii. 312 औषधीय पादप प्रजातियों पर फार्माकोग्नोस्टिकल अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं और औषधीय पादप अनुसंधान के तहत 22 फार्माकोग्नोस्टिकल अध्ययन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाधीन हैं।
iv. आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, आयुर्वेदिक फार्मूलेशनों के 431 फार्माकोपियल मानक विकसित किए गए हैं और आयुर्वेद में उपयोग किए जाने वाले 220 औषधीय पादपों की फाइटोकेमिकल जांच की गई है।
v. औषधीय पादपों सहित 175 आयुर्वेदिक औषधियों की जैविक गतिविधियों के लिए जांच की गई है। फार्माकोलॉजिकल अनुसंधान के अंतर्गत, औषधीय पादपों सहित 69 आयुर्वेदिक औषधियों का सुरक्षा विषाक्तता अध्ययन किया गया है।
vi. व्यापक प्रचार के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के माध्यम से 12 प्रौद्योगिकियों का विकास और व्यावसायीकरण किया गया है।

कोविड-19 के दौरान, आयुष मंत्रालय ने विभिन्न संस्थानों यथा, आईसीएमआर, डीबीटी, सीएसआईआर, एम्स और आयुष संस्थानों के साथ मिलकर एक अंतर-विषयक आयुष अनुसंधान एवं विकास कार्यबल का गठन किया है। अंतर-विषय आयुष अनुसंधान एवं विकास कार्यबल ने कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों में रोगनिरोधी अध्ययन और सहायक उपचार हेतु नैदानिक अनुसंधान प्रोटोकॉल तैयार और डिजाइन किए हैं।

मंत्रालय ने कोविड-19 में पॉलीहर्बल आयुर्वेदिक फार्मूलेशन आयुष-64 को भी फिर से तैयार किया है और कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर कोविड-19 हेतु आयुष उपचारों से जुड़े अंतर-विषयक अध्ययन शुरू किए हैं। आयुष मंत्रालय के अधीन विभिन्न अनुसंधान संगठनों और राष्ट्रीय संस्थानों के तहत, आयुष उपचारों पर देश में 142 अनुसंधान अध्ययन किए जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है और कोविड-19 की रोकथाम में आयुष एडवाइजरी और उपायों की प्रभावशीलता, स्वीकार्यता और उपयोग के प्रभाव के मूल्यांकन पर दस्तावेज तैयार किया है।

"यूके में कोविड-19 से स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा" पर अध्ययन करने हेतु अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन (एलएसएच एंड टीएम), यूके के बीच 22 जुलाई, 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आयुष दवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से आयुष दवाओं हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक सत्यापन और विनियामक अध्ययन करती है। सीएसआईआर-सीडीआरआई के

पास आयुर्वेदिक औषधियों के विनियामक अध्ययनों हेतु जीएलपी परीक्षण सुविधा सहित जड़ी-बूटियों पर आधारित उपचार की पारंपरिक पद्धति को वैज्ञानिक रूप से सत्यापित करने के लिए सभी अपेक्षित विशेषज्ञता है। इसके अलावा, सीएसआईआर-सीआईएमएपी और सीएसआईआर-एनबीआरआई ने टाइप-2 मधुमेह मेलिटस (टी2डीएम) के प्रबंधन हेतु आयुर्वेद से अनुभव लेकर एक आयुर्वेदिक उत्पाद बीजीआर-34 (एनबीआरएमएपी-डीबी) विकसित किया है। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 के संक्रमण की गंभीरता से निपटने के लिए औषधीय पादप-आधारित चिकित्सा को सत्यापित करने और उसके लिए कार्रवाई तंत्र का पता लगाने तथा उसे फिर से तैयार करने के लिए एक परियोजना का सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान (सीआईएमएपी), सीएसआईआर-माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमटेक), सीएसआईआर- भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईआईटीआर), सीएसआईआर- भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान (आईआईआईएम) और सीएसआईआर- हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (आईएचबीटी) द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है। सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान (सीआईएमएपी), सीएसआईआर-आईएमटेक और सीएसआईआर-आईआईटीआर संयुक्त रूप से एक परियोजना "परपोषी रोगजनक मेकेनिज्म को लक्षित करके कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता को रोकने हेतु एंड्रोग्राफिस आधारित चिकित्सा" पर काम कर रहे हैं।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), अपनी 'औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन' पर केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम (सीएसएस) के अंतर्गत देश भर में सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों/संगठनों को भी औषधीय पादपों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान गतिविधियां चलाने के लिए परियोजना आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले 05 वर्षों के दौरान, विभिन्न औषधीय पादपों पर आधारित अनुसंधान गतिविधियों पर 64 परियोजनाओं को सहायता दी गई। आयुष मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए कई पहलें/कार्रवाई भी की गई हैं, जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, आम जनता, चिकित्सकों आदि के लिए एडवाइजरी जारी करना शामिल है।

(ख): आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार, केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम नामत: आयुर्ज्ञान योजना (पूर्ववर्ती बाह्यवर्ती अनुसंधान योजना) का एक घटक है। इस घटक के अंतर्गत, आयुष की सभी पद्धतियों (आयुर्वेद सहित) में अनुसंधान कार्यकलापों के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। आयुर्ज्ञान योजना के अंतर्गत, राज्य-वार निधियां जारी नहीं की जाती हैं। आयुर्ज्ञान योजना (पूर्ववर्ती ईएमआर) के आयुष घटक में अनुसंधान और नवाचार के तहत, 2014-15 से हर्बल दवाओं पर परियोजनाओं सहित 128 अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता दी गई है।

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद में चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे **http://ccras.nic.in/sites/default/files/Notices/List_of_onging_project.pdf** पर देखे जा सकते हैं।

(ग): मंत्रालय ने आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (आईसी योजना) विकसित की है जिसके तहत आयुष मंत्रालय आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुष विनिर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है; आयुष चिकित्सा पद्धति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवर्धन, विकास और मान्यता दिलाने में सहायता देता है; हितधारकों के बीच बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष के बाजार विकास को बढ़ावा देता है; विदेशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना करके अकादमिक एवं अनुसंधान को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता और रुचि बढ़ाने और उसे मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला/संगोष्ठियों का आयोजन करता है।

आयुष मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

I. मंत्रालय ने बाहरी देशों के साथ पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए 25 अलग-अलग देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

II. सहयोगात्मक अनुसंधान/अकादमिक सहयोग शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ 32 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

III. विदेशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

IV. आयुष मंत्रालय ने 34 बाहरी देशों में 38 आयुष सूचना प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की है।

V. "आयुष निर्यात संवर्धन परिषद" को 04.01.2022 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयुष मंत्रालय के तहत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (4) के तहत पंजीकृत किया गया है, ताकि विदेशों में आयुष उत्पादों के पंजीकरण, विदेशों में बाजार अध्ययन और अनुसंधान गतिविधियां शुरू करने में आने वाली बाधाओं से निपटा जा सके।

VI. आयुष मंत्रालय अपने अंतर्राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत भारत के प्रमुख संस्थानों में आयुष पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विदेशी नागरिकों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

VII. आयुर्वेद के माध्यम से कोविड-19 के निवारण पर नैदानिक अनुसंधान अध्ययनों के लिए लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन (एलएसएच एंड टीएम), यूके और फ्रैंकफर्टर इनोवेशनज़ेंट्रम बायोटेक्नोलोजी जीएमबीएच (एफआईजेड), फ्रैंकफर्ट जर्मनी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

VIII. आयुष मंत्रालय ने लोगों को कोविड से बचाने और स्वस्थ रहने के बारे में अंग्रेजी के साथ-साथ 08 अन्य विदेशी भाषाओं में एडवाइजरी जारी की।

IX. आयुष मंत्रालय बाहरी देशों के नियामकों को आयुष शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।

X. एएसयू एंड एच उत्पादों के मानकों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने क्यूसीआई के सहयोग से गुणवत्ता प्रमाणन कार्यक्रम यथा, आयुष मार्क और प्रीमियम मार्क विकसित किया है।

XI. वाणिज्य मंत्रालय ने एमएआई योजना के जरिए आयुष उद्योग को प्रमुख व्यापार मेलों, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों में भाग लेने और हलाल, कोशर, गैर-जीएमओ प्रमाणन, यूएसपी एनएफ खाद्य प्रमाणन आदि जैसे प्राकृतिक उत्पाद प्रमाणपत्रों की प्रतिपूर्ति करने के लिए भी सहायता दी।

XII. आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए 31 आयुर्वेदिक दवा निर्माताओं को डब्ल्यूएचओ-जीएमपी (सीओपीपी) दिया गया है।

XIII. भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच), आयुष मंत्रालय और अमेरिकन हर्बल फार्माकोपिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 13 सितंबर, 2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए ताकि समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच आयुर्वेद और अन्य भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में मानकों का सुदृढ़ीकरण, संवर्धन और विकास किया जा सके।

XIV. आयुर्वेद पर एक भारत-यूरोपीय संघ तकनीकी कार्य समूह (टीडब्ल्यूजी) की स्थापना की गई है। तकनीकी कार्य समूह में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी (ईएमए) और हर्बल औषधीय उत्पादों पर इसकी समिति (एचएमपीसी) के तकनीकी विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व है।

*****